संख्या-147/2019/2314/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 18 जून 2019

विषय:- **श्री अंकित वर्मा पुत्र श्री जगत नारायण वर्मा ग्राम भाउमऊ पोस्ट असोहा जनपद-उन्नाव की सी0पी0एल0 छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-634/स0क0/शिक्षा-अ/5/ 126/2019-20, दिनांक-27.05.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त याची श्री अंकित वर्मा की सी0पी0एल0 छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि **रू0-10,99,560/- (रू0 दस लाख निन्यानबे हजार पांच सौ साठ मात्र)** का भुगतान छात्र के खाता संख्या-31958904257 आई0एफ0एस0 कोड SBIN0011487 भारतीय स्टेट बैंक शाखा, फुर्सतगंज, जनपद-अमेठी में किये जाने की अनुमति, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या- 147/2019/2314(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in